न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी – श्री विनोद कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 06/2018

दायर तारीखः 06.04.2018
निर्णय दिनांकः 11.05.2018
न्याय आपके द्वार केम्पः खाण्डीओबरी

कालूराम पिता रामजी बनाम राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार खेरवाड़ा

:– धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956:–

उपस्थितः
वादी की ओर से :– कालूराम पिता रामजी
प्रतिवादी की आरे से :– तहसीलदार खेरवाड़ा

:– निर्णयः–

वादी कालूराम पिता रामजी मीणा निवासी मुण्डवाडा (अ), तहसील खेरवाड़ा की ओर से दिनांक 06.04.2018 को यह वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 प्रस्तुत किया।

वाद पत्र के अनुसार राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी सम्वत् २०७२-७५......... के खाता संख्या 80/70 में संयुक्त काश्तकार वजा, कूवा पिता रामजी मीणा के बजाय राजस्व रिकोर्ड में संयुक्त काश्तकार वजा, कालूराम पिता रामजी जाति मीणा निवासी मूण्डवाड़ा करवाने का प्रार्थना प्रस्तुत किया है।

आज आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 में वादी की मौजूदगी में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद से सम्बन्धित दस्तावेज यथा वादी का आधार कार्ड , सरपंच ग्राम पंचायत खाण्डीओबरी द्वारा प्रमाणीकरण, अन्य मौतबिरान रूपा पिता नाथा मीणा एवं लक्ष्मण पिता मंगला मीणा नि. मुण्डवाडा (अ) के बयान, पटवारी हल्का खाण्डीओबरी की रिपोर्ट एवं तहसीलदार खेरवाड़ा की रिपोर्ट में कूवा के बजाय कालूराम किये जाने की अनुशंषा पेश की गई।

उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में वर्णित जमाबन्दी सम्वत् .... में संयुक्त खातेदार वजा, कूवा पिता रामजी मीणा के बजाय राजस्व रिकोर्ड में संयुक्त काश्तकार वजा, कालूराम पिता रामजी मीणा निवासी मुण्डवाडा (अ) की रिकार्ड शुद्धि कर अमल दरामद की कार्यवाही हेतु तहसीलदार खेरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प खाण्डीओबरी में सरे इजलास सुनाया गाया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
खेरवाड़ा